

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

आ0आ0सं-04/यो0बजट-60/2015- 47/आ0

ब0प0 राँची, दिनांक :- 17.6.2015

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास (केन्द्रांश 50 प्रतिशत : राज्यांश 50 प्रतिशत) योजना के अंतर्गत राज्यांश मद की राशि 50.000 लाख (पचास लाख) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 4/यो0बजट-60/2015-18/स्वी0 ब0प0 दिनांक-16.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास (केन्द्रांश 50 प्रतिशत : राज्यांश 50 प्रतिशत) योजना के अंतर्गत राज्यांश मद की राशि 50.000 लाख (पचास लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न वर्णित लघुशीर्ष अंतर्गत/इकाईवार राज्यांश मद की राशि 50.000 लाख (पचास लाख) रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना	मजदूरी	19P240602110220103	30.000	30.000	30.000
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240602110220323	20.000	20.000	20.000
कुल राशि				50.000	50.000	50.000

ऑन-लाईन आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. प्रासंगिक व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली 'वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना' (केन्द्रांश 50 प्रतिशत : राज्यांश 50 प्रतिशत) बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110-वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष 22-वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि का उप आवंटन आवंटित राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. भारत सरकार द्वारा कार्य योजना स्वीकृति के पश्चात् एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए राशि की निकासी के संदर्भ में वित्त विभाग के पत्रांक-379 दिनांक-24.04.2015 में निहित निदेश के आलोक में राज्यांश प्रावधान से सितम्बर, 2015 तक 50 प्रतिशत व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

9. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

10. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

अनु०-यथोक्त।


17.6.15

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।





47/आ०
17.6.2015

(37)



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT

शुद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्राए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है


पत्र संख्या - 4/YB-60/2015/47A

दिनांक - 17-Jun

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240602110220103	43544	DRNFWL056	3,000,000.00
	2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन			
	02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन		SHRI.Y.K.SINGH	रुपये तीस लाख
	110 . वन्य जीव परिरक्षण		CHAUHAN IFS	
	22 . वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना		ADDI.PCCF.DEV.JHAR	
	01 . बेलन एवं भे		KHAND RANCHI	
	03 . मजदूरी			



2	P 19 240602110220323	43545	DRNFWL056	2,000,000.00
	2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन			
	02 . पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन		SHRI.Y.K.SINGH	रुपये बीस लाख
	110 . वन्य जीव परिरक्षण		CHAUHAN IFS	
	22 . वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना		ADDI.PCCF.DEV.JHAR	
	03 . प्रशासनिक व्यय		KHAND RANCHI	
	23 . आपूर्ति एवं सामग्री			



5,000,000.00

योग: रुपये पचास लाख

(Signature)
(ARUN KUMAR SINGH) 17-6.15

PRINCIPAL SECRETARY